



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 1058/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-5

दिनांक 20.07.2017

कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में कार्यरत कर्मिकों, सेवानिवृत्त कर्मिकों, उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेन्शनरों की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित चिकित्सालयों की मान्यता अवधि एतद्वारा निम्नानुसार बढ़ायी जाती है:-

क्र० सं०	चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान का नाम	मान्यता समाप्ति की अवधि	मान्यता वृद्धि की तिथि	उद्देश्य
1	मेदान्ता द मेडिसिटी, सैक्टर-38, गुडगांव, हरियाणा	30.06.2017	01.07.2017 से 30.06.2018 तक	सभी रोगों हेतु
2	कैलाश हॉस्पिटल, नौएडा	30.06.2017	01.07.2017 से 30.06.2018 तक	सभी रोगों हेतु
3	मैट्रो हॉस्पिटल एण्ड हॉर्ट इन्स्टिट्यूट, नौएडा	30.06.2017	01.07.2017 से 30.06.2018 तक	सभी रोगों हेतु

नोट :-

1. उत्तराखण्ड राज्य तथा राज्य से बाहर के सभी सरकारी चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान स्वतः मान्यता प्राप्त है।

*निर्धारित छः रोग :- हृदय बाई पास सर्जरी, पेस मेकर लगवाना, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय या मस्तिष्क की वृहद शल्य क्रिया, कैंसर हैपेटाईटिस-बी।

उक्त आदेश प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

निदेशक (मा०सं०)

पत्रांक : 1058/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी०-5 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव (वि०श्रे०), प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (परियोजना)/(वित्त)/(परि०एवंअनु०), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल
4. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि वह आदेश को पिटकुल की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल
6. सम्बन्धित चिकित्सालय।
7. सम्बन्धित पत्रावली/कट फाईल।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा०सं०)